

पेंच टाइगर रज़िर्व में बेनामी लेनदेन

चर्चा में क्यों?

[आयकर वभाग](#) की बेनामी नषिध इकाई (BPU) ने मध्य प्रदेश के [पेंच टाइगर रज़िर्व](#) में तीन बेनामी लेनदेन का पता लगाया।

मुख्य बदि

- **बेनामी लेनदेन का वविरण:**
 - दो बेनामी लेन-देन में मौजूदा रसिॉर्ट वाली भूमिशामलि थी, जबकि तीसरा लेन-देन रसिॉर्ट के लयि इच्छति भूमिसे संबंघति थ।
 - **आयकर वभाग की बेनामी नषिध इकाई (BPU)** ने **बेनामी लेनदेन (नषिध) संशोधन अधनियिम 2016** के तहत तीनों संपत्तियों का पता लगाया और उन्हें कुरक कर लयि।
 - मध्य प्रदेश **बेनामी संपत्तति कुरक करने में देश में सबसे आगे है**, जहाँ 900-950 करोड़ रुपए मूल्य की 1,400 से अधिक संपत्तियां कुरक की गई हैं।
- **अनुसूचति जनजातीय कषेत्रों में कानूनी संदरभ:**
 - **भू-राजसव संहति** की धारा 165 मध्य प्रदेश के **अधसिूचति अनुसूचति कषेत्रों** में आदवासियों की जमीन गैर-आदवासियों को बेचने पर रोक लगाती है।
 - आदवासी, ज़लि कलेकटर की मंजूरी के बनि अधसिूचति और गैर-अधसिूचति ग्रामीण कषेत्रों में गैर-आदवासियों को भूमि पट्टे पर दे सकते हैं।
 - लाभकारी मालकों ने इस प्रतबिंध को दरकनार करते हुए जनजातीय प्रतनिधियों के माध्यम से भूमि खरीद ली और फरि उसे रसिॉर्ट नरिमाण के लयि पट्टे पर दे दयि।
- **बाघ अभयारण्यों (टाइगर रज़िर्व) में बेनामी संपत्तति कुरक करने का महत्त्व:**
 - ये कुरक या संलग्नक **बाघ अभयारण्यों** के भीतर बेनामी लेनदेन पर एक दुरलभ काररवाई का प्रतनिधित्व करती हैं।
 - बाघ अभयारण्यों और **वन्यजीव अभयारण्यों** के नकिट आदवासी बहुल कषेत्रों में स्थति अन्य रसिॉर्ट भी इसी प्रकार के उल्लंघन के लयि जाँच के दायरे में हैं।

पेंच टाइगर रज़िर्व (PTR)

- PTR मध्य प्रदेश और महाराष्टर दोनों का संयुक्त गौरव है।
- यह अभयारण्य मध्य प्रदेश के सविनी और छदिवाडा ज़िलों में **सतपुडा पहाड़ियों** के दक्षिणी छोर पर स्थति है तथा महाराष्टर के नागपुर ज़लि में एक अलग अभयारण्य के रूप में वसितुत है।
 - इसे 1975 में महाराष्टर सरकार द्वारा **राष्टरीय उदयान** घोषति कयि गया तथा वर्ष 1992 में इसे **बाघ अभयारण्य** का दर्जा दयि गया।
 - हालॉक, PTR मध्य प्रदेश को 1992-1993 में यही दर्जा दयि गया थ। यह मध्य हाइलैंड्स के सतपुडा-मैकाल परवतमाला के प्रमुख संरक्षति कषेत्रों में से एक है।
- यह भारत के **महतत्वपूरण पक्षी कषेत्रों (IBA)** के रूप में अधसिूचति स्थलों में से एक है।
- IBA बर्डलाइफ इंटरनेशनल का एक कार्यक्रम है जसिका उददेश्य वशि्व के पक्षियों और उनसे संबंघति वविधिता के **संरक्षण के लयि IBA के वैश्वकि नेटवर्क की पहचान, नगिरानी और सुरक्षा करना है।**

बेनामी लेनदेन (नषिध) संशोधन अधनियिम 2016

- इस अधनियिम द्वारा मूल अधनियिम (बेनामी लेनदेन (नषिध) अधनियिम, 1988) में संशोधन कयि गया तथा इसका नाम बदलकर **बेनामी संपत्तति लेनदेन नषिध अधनियिम, 1988** कर दयि गया।
- अधनियिम में बेनामी लेनदेन को ऐसे लेनदेन के रूप में परभाषति कयि गया है, जहाँ:
 - कोई संपत्तति **कसिी व्यक्ती के पास है या कसिी व्यक्ती को हस्तांतरति है**, लेकिन उसका प्रावधान या भुगतान कसिी अन्य व्यक्ती द्वारा कयि गया है।
 - लेन-देन कसिी काल्पनकि नाम से कयि गया है
 - मालकि को संपत्तति के स्वामतिव की जानकारी नहीं है या वह इसकी जानकारी से इनकार करता है,

◦ संपत्तिके लिये प्रतफल प्रदान करने वाले व्यक्तिका पता नहीं चल पा रहा है ।

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/benami-transactions-in-pench-tiger-reserve>

